




बूढानिलकण्ठ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोल्फुटार, काठमाण्डौ
३ नं प्रदेश, नेपाल

आर्थिक ऐन २०७४



बूढानीलकण्ठ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
आर्थिक ऐन २०७४

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना: बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने , छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बूढानीलकण्ठ नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७४ साल श्रावण १ गतेदेखि बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पत्ति कर: नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम घरजग्गा कर /एकिकृत सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. भूमि कर (मालपोत): नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. घर वहाल कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन , घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा भाडा सम्झौता बमोजिम २ प्रतिशत घर जग्गा वहाल कर नगरपालिकाबाट लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड , सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत कानूनमा तोकिए बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. सवारी साधन कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (४) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन कर:** नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (५) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरन्जन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनो रन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (६) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरे मा तथा वजारहरु सन्चालन गर्दा प्रति दिन रु २० देखी ३०० र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि स्टल राखदा प्रति दिन रु २०० नगरपालिकाबाट कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **पार्किङ शुल्क:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत नगरकार्यपालिका बाट सवारी साधनको आधारमा रु १० देखि रु १०० सम्म कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याम्पटीङ्ग शुल्क:** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याम्पटीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत कानूनमा तोकिए बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि ७ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. **पर्यटन शुल्क:** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट कानूनमा तोकिए बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१५. नयाँ घर निर्माण तथा नक्शा पास दस्तुर: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण हुने नयाँ घर तथा नक्सा सम्बन्धी कार्यका लागि अनसुची ८ मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१६. बाली धरौटी तथा अन्य धरौटी: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बाली धरौटी तथा अन्य धरौटी कार्यका लागि अनसुची ९ मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१७. फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न विषयगत समितीबाट सिफारीस भई नगरसभाबाट स्विकृत भए पश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१८. रजिष्ट्रेशन शुल्क: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कानुनले तोके बमोजिम रजिष्ट्रेशन शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१९. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
२०. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

**सम्पति कर
अनुसूची १**

१) घरको मूल्याङ्कन

| घरको बनावट | औसत लागत दर प्रति वर्ग फुट | ह्रास कट्टी प्रतिशतमा | कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| भिन्न काचौं बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भएको वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता, भिगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको घर | रु ६००१- | ३ | २५ |
| भिन्न बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरि छाना ढलान वा आर वि सि गरिएको वा जस्ता, टायल, भिगटी, एसवेस्टसको छाना भएको | रु ७५०१- | २ | ३० |
| भिन्न बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा सिमेन्ट प्लाष्टर गरि छाना ढलान (आर सि सि वा आर वि सि) गरिको घर | रु १७५० १- | १ | ७० |
| आर सि सि फ्रेम स्ट्रक्चरमा लिफ्ट/ एस्केलेटर जडान भएको घर | रु १८०० १- | ०.७५ | १०० |
| स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविडट्स, फाइवर वा यस्तै संरचना | रु १८०० १- | ०.७५ | १०० |

२) जग्गाको मूल्याङ्कन दर

अ) गोरेटो बाटो भएको प्रति आना रु १,००,०००१-

आ) कच्चि/ ग्राभेल सडक प्रति आना रु ३,००,०००१-

इ) भित्रि सहायक पिच सडक प्रति आना रु ४,००,०००१-

ई) मुल पिच सडक प्रति आना रु ८,००,०००१-

३) घर जग्गा करको दर:- घर जग्गा कर प्रयोजनको लागी मात्र

१) पहिलो रु ३० लाख सम्ममा एकमुष्ठ रु ५००१-

२) त्यसपछिको थप रु २० लाख सम्म ०.०८ प्रतिशत

३) त्यसपछिको थप रु ५० लाख सम्म ०.१५ प्रतिशत

४) त्यसपछिको थप रु १ करोड सम्म ०.२५ प्रतिशत

५) त्यसपछिको जतिसुकै रुपैया थप भए पनि ०.३५ प्रतिशत

४. घर जग्गाकर सम्बन्धमा ।

क. घर जग्गा मूल्याङ्कनका लागि नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय स्वायत्त शासन, सातौं नियमावली २०७२ को भाग ३ बमोजिम नयाँ तथा बक्यौता करका लागी घरको मूल्य कायम गर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्ने हकमा निर्माण भएको घरको जम्मा वर्गफुटलाई नगरपालीकाको हाल कायम रहेको FAR १.७५ प्रतिशतले भाग गरि आउने वर्गफुटलाई पुन आना ३४२.२५ ले भाग गरि कायम हुन आएको जग्गाको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरि घरले चर्चिएको जग्गा कायम गर्ने साथै घर जग्गा कर बक्यौता असुल गर्ने हकमा आधार वर्ष आ .व. ०७३।०७४ लाई आधार वर्ष मानी मालपोत कार्यालय काठमाण्डौद्वारा मूल्याङ्कन गरीएको आ .व. ०७३।०७४। को दररेट र नयाँ घर जग्गाकरका लागी नगरपालीकाद्वारा निर्धारण गरिएको नयाँ दररेटलाई आधार मानि जमिनको मूल्य कायम गरि घर जग्गा कर असुल गरिनेछ। घर जग्गाकर बक्यौता रहेको हकमा आधार वर्षमा कायम भएको घर जग्गा कर जति वर्ष बाँकी छ त्यति वर्षको घर जग्गा कर गुणा गर्ने र थप १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने तथा चालु आ.व. को श्रावण देखी असोज -३ महिना - भित्र घर जग्गाकर तिर्न आउनेलाई घर जग्गा करमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

ख.सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका भवन र संस्थाको नाममा जग्गा रहि धार्मिक संस्थाको रुपमा सन्चालन रहेको मठ ,मन्दिर र गुम्बाहरुलाई भने घर जग्गाकर छुट हुनेछ ।

एकीकृत सम्पत्ति करको दर

| कर योग्य एकीकृत सम्पत्तिको मूल्य | दर बाषीक |
|--|---|
| दश लाख रुपैयाँ सम्म | पच्चिस रुपैया देखि दुइ सय रुपैयाँ सम्म |
| दश लाख एक रुपैयाँ देखी विस लाख रुपैयाँ सम्म | दुइ सय पचास रुपैया देखि चार सय रुपैयाँ सम्म |
| विस लाख एक रुपैया देखि तीस लाख रुपैयाँ सम्म | पाँच सय रुपैयाँ देखि एक हजार रुपैयाँ सम्म |
| तिस लाख एक रुपैयाँ देखि पचास लाख रुपैयाँ सम्म | एक हजार दुइ सय रुपैया देखि तिन हजार रुपैया सम्म |
| पचास लाख एक रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँ सम्म | तीन हजार पाँच सय रुपैयाँदेखी दश हजार रुपैयाँ सम्म |
| एक करोड रुपैयाँ देखि दुइ करोड रुपैयाँ सम्म | बाह्र हजार रुपैयाँ देखी वीस हजार रुपैयाँ सम्म |
| दुइ करोड एक रुपैयाँ देखि पाँच करोड रुपैया सम्म | पच्चिस हजार रुपैया देखी साठी हजार रुपैयाँ सम्म |
| पाँच करोड एक रुपैयाँ देखी माथि | दुइ रुपैयाँ प्रतिहजार |

नोट: यस आ.व. मा सम्पत्ति कर लगाउन विज्ञहरु समावेश भएको टोली गठन गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान गराइनेछ । सो को आधारमा आगामी वर्षदेखी लागु गरिनेछ ।

भूमि कर (मालपोत)

अनुसूची २

| क्र.स | विवरण | दर |
|-------|--|-------------------|
| १ | न्यूनतम | रु २५ |
| २ | प्रतिरोपनी | रु १००. |
| ३ | बक्यौता जरिवाना | १०% |
| ४ | जग्गा बाझो राखेमा न्यूनतम (१ रोपनी भन्दा कम) प्रति रोपनी | रु ५०० रु १००० |

व्यवसाय कर

अनुसूची ३

| क्र.सं. | विवरण | दर / रकम रु |
|---------|---|-------------|
| १ | डिपार्ट मेन्ट स्टोर दर्ता र नविकरण | ३००० |
| २ | व्यावसाय दर्ता चुरोट तथा रक्सी | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | ५००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | २००० |
| ३ | खुद्रा व्यावसाय (किराना) | |
| | क. ठुला रु. ५ लाख भन्दा माथि | ४००० |
| | ख. साना रु. ५ लाख सम्म | २००० |
| | ग. होलसेल (थोक विक्रेता) | १००० |
| ४ | सुनचाँदी तथा गहना बनाउने पसल | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | २००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | १००० |
| ५ | ईलेक्ट्रोनिक सामान खरिद बिक्री व्यावसाय | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | २००० |

| | | |
|----|---------------------------------------|------|
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | १००० |
| ६ | निर्माण सामाग्री हार्डवयर व्यावसाय | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | ५००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | २००० |
| ७ | फर्निचिड | |
| | क. रु ५ लाख भन्दा माथिका ठुला | ५००० |
| | ख. रु ५ लाख भन्दा तलका साना | २००० |
| ८ | पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर वा डिपो | |
| | ग. रु ५ लाख भन्दा माथिका ठुला | ५००० |
| | घ. रु ५ लाख भन्दा तलका साना | १००० |
| ९ | कपडा पसल फेन्सी स्टोर | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | २००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | १००० |
| १० | सवारी साधन विक्रेता | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | ५००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | २००० |
| ११ | विशेष परामर्स तथा अन्य व्यवसायिक सेवा | |
| | क. ठुला रु.५ लाख भन्दा माथि | २००० |
| | ख. साना रु.५ लाख सम्म | १००० |
| १२ | कानून व्यवसायी | ५०० |
| १३ | ईन्जिनियरिड तथा कन्सल्टेन्सि प्रति घर | १००० |
| १४ | लेखापरिक्षक | |
| | क. सि.ए | ५००० |
| | ख. अन्य | १००० |
| १५ | दन्त परिक्षक | ५०० |
| १६ | अनुसन्धान कर्ता तथा परामर्श दाता | १००० |
| १७ | कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | |
| | क. श्रेणी विज्ञ | १००० |
| | ख. श्रेणी सामान्य | ५०० |
| १८ | विमा अभिकर्ता | ५०० |

| | | |
|----|---|-------|
| १९ | सर्भेयर | १००० |
| २० | अनुवादक | ५०० |
| २१ | पशुचिकित्सक | १००० |
| २२ | सेयर दलाल | १००० |
| २३ | सामान ढुवानी तथा कम्पनी ट्रान्सपोर्ट सर्भिस | २००० |
| २४ | संस्थागत पेन्टर | ५००० |
| २५ | सामान्य पेन्टर | ५०० |
| २६ | निर्माण व्यावसयी | ५००० |
| २७ | उत्पादन मुलक उधोग | ५००० |
| २८ | व्यावसायीक संकलन केन्द्र (डिपो) | ५०० |
| २९ | घरेलु उधोग | |
| | क. तुला | २००० |
| | ख. साना | १००० |
| ३० | उर्जामुलक उधोग | |
| | क. तुला | २००० |
| | ख. साना | १००० |
| ३१ | कृषि तथा वनजन्य उधोग | |
| | क. तुला | १००० |
| | ख. साना | ५०० |
| ३२ | खनिज उधोग | |
| | क. तुला | २००० |
| | ख. साना | १००० |
| ३३ | पर्यटन उधोग | |
| | क. होमस्टे राखी व्यावसाय गर्ने प्रति घर | १००० |
| | ख. होटल तथा गेष्ट हाउस १५ कोठा सम्म | १०००० |
| | ग. १५ कोठा भन्दा माथि | २०००० |
| | घ. तारे होटल | ५०००० |
| ३४ | साधारण रेस्टुरेन्ट | |
| | क. तुला | ३००० |
| | ख. मझौला | २००० |

| | | |
|----|--|-------|
| | ग. साना | १००० |
| ३५ | जलपान पसल र चिया कफी | ५०० |
| ३६ | सेवा उधोग (छापाखाना) | १००० |
| ३७ | निर्माण उधोग सडक पुल आवास तथा कम्प्लेक्स | |
| | क. ठुला | ५००० |
| | ख. साना | २००० |
| ३८ | संचार सेवा हुलाक चिठीपत्र कुरियर | ५०० |
| ३९ | टेलिफोन फ्याक्स फोटोकपी | १००० |
| ४० | नेपाल सरकारको निजि बाणिज्य बैंक | ५००० |
| ४१ | विमा कम्पनी | २००० |
| ४२ | विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर मनि ट्रान्सफर | २००० |
| ४३ | धितोपत्र कारोवारवाला | २००० |
| ४४ | सहकारी बैंक तथा ऋण सहकारी | २००० |
| ४५ | कृषी सहकारी | १००० |
| ४६ | निजि अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पताल | ५००० |
| ४७ | नर्सिङहोम | ५००० |
| ४८ | क्लिनिक तथा ल्याव | २००० |
| ४९ | ल्याव | १००० |
| ५० | फिजियोथेरापी | १००० |
| ५१ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था | ३००० |
| ५२ | मोटर साईकल तथा अन्य सर्भिसिड | ५००० |
| ५३ | कार्ट्रक मर्मत तथा सर्भिसिड ,बस ,/ | १०००० |
| ५४ | विज्ञापन एजेन्सि | २००० |
| ५५ | वैदेशिक रोजगार सेवा | ५००० |
| ५६ | स्वदेशी रोजगार | १००० |
| ५७ | हाउजिड कम्पनी खरिद विक्री | २०००० |
| ५८ | ब्युटिपार्लर केश सिङगार | १००० |
| ५९ | ड्राईक्लिनर्स | ५००० |
| ६० | फोटो स्टुडियो तथा कलरल्याव | १००० |
| ६१ | सिलाई पसल | ५०० |

| | | |
|----|--------------------------------------|-------|
| ६२ | मासु विक्रेता | १००० |
| ६३ | फलफुल तथा तरकारी विक्रेता | १००० |
| ६४ | सिसा तथा प्लाइउड पसल | २००० |
| ६५ | केवुल नेटवर्क | |
| | क. तुला ग्राहक संख्या १५० भन्दा माथि | ५००० |
| | ख. साना ग्राहक संख्या १५० सम्म | २००० |
| ६६ | मार्बल पसल | ५००० |
| ६७ | पार्क तथा पिकनीक स्पोर्ट | १००० |
| ६८ | क्यासिनो | २०००० |
| ६९ | टुर अप्रेटर | ३००० |
| ७० | मसाज पार्लर | २००० |
| ७१ | मिठाइ पसल | |
| | क. तुला | १५०० |
| | ख. साना | १००० |
| ७२ | भोजनालय | |
| | क. तुला | १५०० |
| | ख. साना | ५०० |
| ७३ | डेरि जन्य उधोग | २००० |
| ७४ | डेरि पसल | १००० |
| ७५ | औषधी पसल | ५०० |
| ७६ | ग्रिल उधोग | २००० |
| ७७ | नकमी पसल | ५०० |
| ७८ | जुत्ता सिउने पसल | २०० |
| ७९ | बेकरी उधोग | |
| | क. तुला | २००० |
| | ख. साना | १००० |
| ८० | कुटानी पिसानी | |
| | क. तुला | १००० |
| | ख. साना | ५०० |
| ८१ | हजाम पसल | १००० |

| | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| ८२ | पान पसल | ५०० |
| ८३ | ग्याँस डिपो | २००० |
| ८४ | आल्मुनियम उधोग व्यावसाय | ५००० |
| ८५ | सेरामिक्स पसल | १००० |
| ८६ | ह्याण्डक्राफ्ट | १००० |
| ८७ | मिनरल वाटर उधोग | ५००० |
| ८८ | सोलार बत्ति मेसिनरी औजार विक्री | २००० |
| ८९ | टेलिभिजन स्टेशन | ५००० |
| ९० | रेडियो एफ एम | ३००० |
| ९१ | पार्टिप्यालेस | ५००० |
| ९२ | रंगरोगन पसल | ३००० |
| ९३ | स्विमिडपुल | ५००० |
| ९४ | ड्राइभिड ट्रेनिड सेन्टर | |
| ९५ | क. मोटरसाइकल र स्कुटर | ३००० |
| ९६ | ख. मोटर लाइट र हेभि | ५००० |
| ९७ | अन्य | ५००१- |
| ९८ | व्यवसाय बन्द गर्दा/सिफारीस | ५००१- |
| ९९ | व्यवसाय नामसारी गर्दा साना ठुला | ५००१- १०००१- |

सवारी साधन कर

अनुसूची ४

| क्र.स | विवरण | दर/ रकम रु |
|-------|-------------------------------|------------|
| १ | ठुलो बसट्रक १० चक्के ट्रिपर . | २५०० |
| २ | मिनि बसमिनि ट्रक बार्षिक/ | २५०० |
| ३ | माइक्रो बस वार्षिक | २००० |
| ४ | टेम्पो ट्याक्सी वार्षिक | १००० |
| ५ | मोटरकार र अन्य वार्षिक | १००० |

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| ६ | ठेला गाडि रिक्शा वार्षिक | ३०० |
| ७ | मोटर साइकल स्कुटर वार्षिक | ३०० |
| ८ | ट्रयाक्टर वार्षिक | ५०० |

**विज्ञापन कर
अनुसूची ५**

| क्र.स | विवरण | दर/ रकम रु |
|-------|--|--------------------------------|
| १ | ग्लो साइनबोर्ड डिपिएस बोर्ड प्रति व.फि | १००।- |
| २ | वाल पेन्ट विज्ञापन प्रति व.फि | १०।- |
| ३ | व्यानर (बढिमा २ महिना सम्मको लागी राख्न पाउने र सो समय पश्चात स्वयमले नै हटाउनु पर्नेछ) प्रति गोटा क. उधोग ख. निजि विद्यालय तथा सार्वजनिक संघ सस्था ग. सार्वजनिक विद्यालय घ. विभिन्न प्रकारका पम्पलेट बनाइ (ए फो साइज) विज्ञापन गर्दा प्रति गोटा घ. व्यानर राखेको २ महिना भित्र नहटाइएमा जरिवाना लगाइनेछ । | ५००।- ३००।- १००।- ५।- |
| ४ | डिजिटल बोर्ड मार्फत विज्ञापन हुदाँ लाग्ने कर दस्तुर नगर कार्यपालिकाको बोर्डबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । | |

**मनोरञ्जन कर
अनुसूची ६**

| क्र.स | विवरण | दररेट/रकम रु |
|-------|---|--------------|
| १ | सिनेमा हल | १०००० |
| २ | सास्कृतिक घर | २००० |
| ३ | जादु सर्कस र अन्य सास्कृतिक कार्यक्रम | ५०० |
| ४ | व्यवसायीक भिडियोकर क नगरक्षेत्रभित्र संचालित व्यवसायिक केवुल व्यवसाय वार्षिक | ५०००.- |

| | |
|--------------------------|--------|
| ख. इन्टरनेट सेवा प्रदायक | ३०००।- |
|--------------------------|--------|

सेवा शुल्क तथा दस्तुर
अनुसूची ७

| | | |
|----|---|---------|
| १ | नागरिकता सिफारिस | निशुल्क |
| २ | आदिवासी जनजाती दलितअपाङ्ग, विपन्न , सिफारिस | निशुल्क |
| ३ | जग्गा नामसारी सिफारिस | ५०० |
| ४ | जोत नामसारी- मोही | ५०० |
| ५ | जग्गा दर्तानामसारी / | २००० |
| ६ | मोही लगत कट्टा सिफारिस एकाघर- | ५०० |
| ७ | मोही लगत कट्टा सिफारिस एकाघर भन्दा वाहिर | २००० |
| ७ | बकस पत्र बमोजिमको जग्गा नामसारी दा.खा. | ५०० |
| ८ | नाम थर संशोधन सिफारिस | ५०० |
| ९ | गुठी रैतानी सिफारिस | ५०० |
| १० | बुथ सिफारिस)dealership) | ५०० |
| ११ | धारा विजुली सिफारिस सामान्य - | ५०० |
| १२ | क. उधोग साना- थ्रि फेज | २००० |
| १३ | ख. उधोग मझौला- थ्रि फेज | ५००० |
| १४ | ग. उधोग ठुला- थ्रि फेज | १०००० |
| १५ | उधोगलाई बिधुत सिफारिससिङ्गल फेज- | २००० |
| १६ | तिनपुस्ते फोटो टाँस सिफारिस | ५०० |
| १७ | प्रतिलिपि सिफारिस | ५०० |
| १८ | सुचना टाँस सिफारिस | ५०० |
| १९ | उधोग नामसारी | १००० |
| २० | उधोग टहरा नामसारी सिफारीस प्रति वर्गफिट | ४ |
| २१ | भवन तथा घर मर्मत सिफारिस | ५०० |
| २२ | घर कायम सिफारिस | ५०० |
| २३ | जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस | ५०० |

| | | |
|----|--|---------|
| २४ | नाबालक सिफारिस १६ वर्ष | निशुल्क |
| २५ | अविवाहित र विवाहित प्रमाणित सिफारिस (सर्जमिन समेत) | ५०० |
| २६ | अंग्रेजीमा जन्ममिति प्रमाणित सिफारिस | ५०० |
| २७ | अंग्रेजीमा नाबालक सिफारिस | ५०० |
| २८ | अंग्रेजीमा विवाहित प्रमाणित सिफारिस | ५०० |
| २९ | व्यवसाय बन्द रहेको सिफारिस | १००० |
| ३० | नाता कायम सिफारिस | ५०० |
| ३१ | अंग्रेजीमा नाता कायम सिफारिस | १००० |
| ३२ | चारित्रिक प्रमाणित सिफारिस | ५०० |
| ३३ | बसोबास प्रमाणित विदेशी (भारतिय बाहेक) | ५००० |
| ३४ | बसोवास प्रमाणित स्वदेशी | ५०० |
| ३५ | कर चुक्ता सिफारिस | ५०० |
| ३६ | नाता प्रमाणित (हक खुलाउने) | निशुल्क |
| ३८ | सम्पत्ति मुल्याङ्कन दस्तुर सिफारिस ७५% छुट हुने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पस विश्वविद्यालयवाट वा विद्यार्थी भई अध्यनको , लागि बिदेश जान लागेको बिबरण खुल्ने आवश्यक कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । | ०.२% |
| ३९ | आयस्रोत प्रमाणित दस्तुर सिफारिस ७५% छुट हुने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पस विश्वविद्यालयवाट वा विद्यार्थी भई अध्यनको , लागि बिदेश जान लागेको बिबरण खुल्ने आवश्यक कागजात पेश गर्नु पर्नेछ | ०.२% |
| ४० | निवेदन | १० |
| ४१ | उजुरीरोक्का निवेदन / | १० |
| ४२ | जग्गा विवाद हुदाँ अमिन खटाउदा प्रति घरप्रति निवेदन वा विषय / | ५०० |
| ४३ | चारकिल्ला दस्तुर न्युनतम | ५०० |
| | क. बाटो नभएको प्रति आना | ५० |
| | ख. गोरेटो बाटो तथा अन्य प्रति आना | ७५ |
| | ग. कच्चि मोटरबाटो प्रति आना | १२५ |
| | घ. सहायक पिच बाटो | १५० |

| | | |
|----|---|----------|
| | ड. मुल पिच बाटो | १७५ |
| ४४ | घर बाटो न्युनतम | ५०० |
| | क. बाटो नभएको प्रति आना | २०० |
| | ख. गोरेटो बाटो तथा अन्य प्रति आना | ३५० |
| | ग. कच्चि मोटरबाटो प्रति आना | ४०० |
| | घ. सहायक पिचबाटो प्रति आना | ५०० |
| | ड. मुल पिचबाटो प्रति आना | ६०० |
| | च. अंशवण्डा तिनपुस्ते भित्र १ रोपनी सम्म | १००० |
| | छ. अंशवण्डा तिनपुस्ते भित्र ३ रोपनी सम्म | २००० |
| | ज. सो भन्दा माथि जतिसुकै भएता पनि | ५००० |
| | घरबाटो सिफारीस गर्दा जग्गा धनीले पेश गरेको कित्ता अनुसार जतिसुकै क्षेत्रफल भएता पनि निवेदकले माग गरे बमोजिमको क्षेत्रफलको आधारमा असुल गर्ने | |
| ४५ | स्थलगत सर्जिमिन (मृत्यु र नागरिकता बाहेक) | १००० |
| ४६ | घटना दर्ता | |
| | क दिन भित्र ३५ जुनसुकै घटना दर्ता. | निशुल्क: |
| | खजन्म दर्ता. | ५० |
| | गविवाह दर्ता. | ५० |
| | घबसाई सराई दर्ता. | ५० |
| | ड मृत्यु दर्ता. | ५० |
| | च सम्बन्ध विच्छेद दर्ता. | ५० |
| ४७ | धरौटि कुतबाली जग्गा धनीलाई भुक्तानी दिदा सेवा शुल्क | १०% |
| ४८ | निजि Boring स्विकृत दिए बापत | १५००० |
| ४९ | शिक्षा सम्बन्धि नयाँ विध्यालय खोल्ने स्विकृती | |
| | क. प्रा वि तह वा सो भन्दा मुनी | ५००० |
| | ख . नि.मा.वि तह | ७००० |
| | ग. मा.वि तह | १०००० |
| | घ.उच्च मावि क्याम्पस तह सम्म | १५००० |
| | ड. अपग्रेडको लागि | २००० |

| | | |
|----|--|---------|
| | च. सार्वजनिक सरकारी र सार्वजनिक गुठीको स्कुलको लागि कर छुट हुनेछ | |
| ५० | संस्था दर्ता र नविकरण | १००० |
| ५१ | वडा कार्यालयहरुबाट अग्रेजीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्दा | निशुल्क |

नयाँ घर निर्माण तथा नक्शा पास दस्तुर अनुसूची ८

| क्र स | विवरण | दररेट/ रु |
|-------|--|--------------------------|
| १ | नक्शा पास दरखास्त फारम | १००० |
| २ | प्राविधिक चेक जाँच / इन्जिनियर- सब इन्जिनियर न.पाबाट खटाउदा शुल्क बापत | २००० |
| ३ | नक्शा सम्शोधन प्रति वर्गफिट | १२ |
| ४ | प्रतिलिपि नक्शा र प्रमाणपत्र प्रति सेट | १००० |
| ५ | नक्शा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट | आवसीय१२- व्यवसायीक१५- |
| ६ | संयुक्त आवास निवेदन प्रति रोपनी | १०००० |
| ७ | संयुक्त आवास प्रविधिक चेक जाँच | २०००० |
| ८ | संयुक्त आवास नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट | १५ |
| ९ | नक्सा नियमित . | १३ |
| १० | नविकरण दस्तुर प्रति वर्ग वर्ग फिट | ४ |
| ११ | जस्ता वा टायल छानो प्रति घर , पक्कि इटा गाहो . | १५०० |
| १२ | बास बाट निर्मित टहरा/काठ.माटो जोडाइ वा जस्ता . प्रति वर्ग फिट- व्यक्तिगत | २ |
| १३ | निर्माण प्रति वर्ग फिट व्यावसायिक टहरा . | ५ |
| १४ | भुकम्पबाट प्रभावितहरुले घर निर्माण गर्दा | |
| | क नेपाल सरकारबाट भुकम्प पिडितहरुको लागि ३ लाख अनुदान प्राप्त भइ सो रकम भित्र रहेर घर निर्माण गर्दा | निशुल्क |
| | ख. नेपाल सरकारबाट भुकम्प पिडितहरुको लागि ३ लाख अनुदान | ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । |

| | | |
|----|--|------|
| | प्राप्त भइ सो रकममा व्यक्तिगत रकम समेत थप गरेर नगरपालिकाको नियमानुसार घर निर्माण गर्दा नक्सापासमा | |
| १५ | बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले निजको नाममा वा श्रीमतीको नाममा जग्गा भइ घर बनाउदाँ एक पटकलाइ नक्सापासमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । | |
| १६ | ३ पुस्ते भित्र नक्सा नामसारी गर्दा | २००० |
| १७ | ३ पुस्ते बाहेक अन्यको हकमा नक्सा नामसारी गर्दा नक्सापास दस्तुरको ५० प्रतिशत हुनेछ | |
| १८ | पर्खाल निर्माण स्विकृत प्रति रनिङ फिट | १ |
| १९ | महिलाको नाममा आवसीय घर नक्सा पास गर्दा एक पटकलाई नक्सापास दस्तुरमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ । | |

**बालि धरौटि तथा अन्य धरौटी
अनुसूची ९**

| क्र स | विवरण | दररेट/रु |
|-------|---|------------|
| १ | कुनै व्यक्ति संस्था कार्यालयले धारा ढल एव अन्य निर्माणको लागि, नगरपालिकाको जिम्मामा रहेर सडक बाटो खन्दा निम्न बमोजिम धरौटि लिई नगरपालिकाले स्विकृत दिने | |
| २ | क. कच्ची ग्राभेल बाटो प्रति वर्ग मिटर | १००० |
| | ख. ईटा वा ढुङ्गा बिच्छाएको बाटो प्रति वर्ग मिटर | १५०० |
| | ग. कालो पत्रे बाटो प्रति वर्ग मिटर | २००० |
| | घ. तर पिच बाटो बाहेक अन्य बाटो सम्बन्धित पक्षले पुर्व अवस्थामा कायम गरेमा धरौटी बापतको रकम ५०%फिर्ता हुनेछ । | |
| ३ | बालि धरौटी (भुमिसुधार कार्यालयले तोके बमोजिम) | |
| ४ | अन्य धरौटी | नियमानुसार |